राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

एस.बी. आपराधिक विविध (याचिका) संख्या 4286/2024

पवन कुमार पुत्र श्री बलदेव सिंह, उम्र लगभग 30 वर्ष, निवासी गली नं. 6, सातवाँ चौक, मकान नं. 1234, अबोहर, जिला फाजिल्का, पंजाब।----याचिकाकर्ता

बनाम

1. राजस्थान राज्य, पीपी के माध्यम से

2.अंजूबाला पुत्री श्री संतलाल, निवासी गली नं. 6, सातवाँ चौक, मकान नं. 1234, अबोहर, जिला फाजिल्का, पंजाब, वर्तमान में निवासी चमखेरा, तह. सादुलशहर जिला श्री गंगानगर।

3. रिधिमा पुत्री श्री पवन कुमार, वर्तमान में निवासी चमखेरा, तह. सादुलशहर जिला श्री गंगानगर, अपनी प्राकृतिक माँ अंजूबाला पत्नी पवन कुमार के माध्यम से।

4. रूहान पुत्र श्री पवन कुमार, वर्तमान निवासी चामखेरा, तह.सादुलशहर जिला श्री गंगानगर। अपनी प्राकृतिक माँ अंजुबाला पत्नी पवन कुमार के माध्यम से। ----प्रतिवादी

याचिकाकर्ता(ओं) के लिए: श्री वी.के.भादू।

प्रतिवादी(ओं) के लिए: श्री विक्रम राजपुरोहित, पी.पी.

श्री आर.एस.भाटी, एजीए

माननीय न्यायमूर्ति अरुण मोंगा

<u>आदेश (मौखिक)</u>

<u>10/09/2024</u>

1. याचिकाकर्ता (पति) की शिकायत विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट, सादुलशहर द्वारा आपराधिक प्रकरण संख्या 126/2022 में पारित दिनांक 10.07.2023 के आदेश के विरुद्ध है, जिसके तहत प्रतिवादी संख्या 2 (पत्नी) और दो नाबालिगों द्वारा अंतरिम भरण-पोषण की मांग करते हुए दायर आवेदन को सीआरपीसी की धारा 125 के तहत दायर मुख्य याचिका के लंबित रहने के दौरान कुल 7,000/- रुपये प्रति माह देने का आदेश देकर स्वीकार किया गया था।

2. याचिकाकर्ता ने अपील दायर करके उक्त आदेश को विद्वान सत्र न्यायालय के समक्ष असफल रूप से चुनौती दी, जिसे सुनवाई योग्य नहीं माना गया।

3. आरंभ में ही, विद्वान मजिस्ट्रेट द्वारा पारित आदेश के गुण-दोष पर विचार करने से पहले, मेरा विचार है कि जहां तक अपील का संबंध है, उसे उचित रूप से बनाए रखने योग्य नहीं माना गया, क्योंकि विद्वान मजिस्ट्रेट द्वारा पारित आदेश प्रकृति में अंतरिम है और धारा 125 के तहत मुख्य याचिका के लंबित रहने के दौरान पारित किया गया है, जो अभी भी विचाराधीन है।

4. इसलिए यह न्यायालय विद्वान मजिस्ट्रेट द्वारा पारित आदेश के गुण-दोष पर मामले की सुनवाई करना उचित समझता है। उस पर विचार करने से पहले, संक्षिप्त तथ्यों पर ध्यान दिया जा सकता है, जो इस प्रकार हैं:

4.1 याचिकाकर्ता और प्रतिवादी संख्या 2 ने 08.06.2011 को हिंदू रीति-रिवाजों के अनुसार विवाह किया। उपहारों आदि का सामान्य आदान-प्रदान

हुआ। विवाह से पक्षकारों को दो बच्चे हुए हैं, अर्थात् एक नाबालिग बेटी, जिसकी आयु लगभग 10 वर्ष है तथा एक नाबालिग बेटा, जिसकी आयु लगभग 7 वर्ष है, जो वर्तमान में प्रतिवादी संख्या 2 (पत्नी) के संरक्षण में हैं।

4.2 इसके पश्चात, पक्षकारों के बीच विवाह में दरार आ गई, जिसके परिणामस्वरूप वे अलग हो गए। प्रतिवादी संख्या 2 - पत्नी अपने नाबालिग बच्चों के साथ वर्तमान में 23.05.2022 से अपने पैतृक स्थान पर रह रही है। याचिकाकर्ता ने अलगाव का लाभ उठाते हुए अपने नाबालिग बच्चों के साथ-साथ अपनी पत्नी को भी पूरी तरह से त्याग दिया तथा आर्थिक रूप से सक्षम होने के बावजूद, नैतिक और कानूनी कर्तव्य के बावजूद उन्हें कोई भरण-पोषण नहीं दिया।

4.3 परिणामस्वरूप, प्रतिवादी संख्या 2 - पत्नी ने सीआरपीसी की धारा 125 के तहत एक आवेदन दायर किया, जिसमें दिनांक 10.07.2023 का आक्षेपित आदेश पारित किया गया है, जिसका पति/याचिकाकर्ता द्वारा अन्य बातों के साथ-साथ विरोध किया गया है।

5. उपर्युक्त पृष्ठभूमि में, मैंने याचिकाकर्ता के विद्वान वकील तथा विद्वान लोक अभियोजक को सुना है तथा आक्षेपित आदेश का अवलोकन किया है।
6. मामले की तथ्यात्मक कथा स्पष्ट रूप से दर्शाती है कि पत्नी अपनी इच्छा से नहीं बल्कि परिस्थितियों के कारण अलग रह रही है। ऐसी स्थिति में, यह आवश्यक है कि याचिकाकर्ता पिता तथा पति होने के नाते अपनी नैतिक तथा कानूनी जिम्मेदारी का पालन करते हुए अपनी पत्नी तथा दो नाबालिगों का भरण-पोषण करे, न कि अलगाव का लाभ उठाकर उन्हें त्याग दे।

7. विद्वान मजिस्ट्रेट द्वारा पारित आक्षेपित आदेश मूलतः इस तर्क पर आधारित है कि याचिकाकर्ता (पत्नी) के पास कोई रोजगार अथवा व्यवसाय कौशल नहीं है, इसलिए वह स्वयं कुछ भी नहीं कमा पा रही है। यहां तक कि

उसके माता-पिता भी उसका तथा उसके बच्चों का भरण-पोषण करने में असमर्थ हैं। जबकि, प्रतिवादी (पति) की अबोहर में चार दुकानें हैं, जिन्हें किराए पर दिया गया है, जिससे उसे लगभग ₹2 लाख की वार्षिक आय होती है। इसके अलावा, पत्नी ने दावा किया कि उसके पति जयपुर में "रिद्धिमा ट्रेडिंग कंपनी" नाम से एक निजी व्यवसाय चलाते हैं, जिससे, पत्नी के दावे के अनुसार, वह सालाना लगभग ₹5 लाख कमाते हैं। हालाँकि, पति ने अबोहर में किसी भी दुकान के मालिक होने से इनकार किया और दावा किया कि उसकी माँ ने उसे अपनी सारी संपत्ति से बेदखल कर दिया है। उसके पिता की मृत्यु हो चुकी है, और रिद्धिमा ट्रेडिंग कंपनी नाम से व्यवसाय दो साल पहले बंद हो गया था।

7.1. विद्वान पारिवारिक न्यायालय ने माना कि पति का अपनी पत्नी और बच्चों के लिए भरण-पोषण प्रदान करने का कानूनी दायित्व है। दोनों पक्षों की वित्तीय स्थिति और प्रस्तुत हलफनामों पर विचार करते हुए अंतरिम भरण-पोषण प्रदान करना उचित पाया गया। इसलिए पति पवन कुमार को आदेश दिया गया कि वह अपनी पत्नी अंजू बाला को 3,000 रुपये प्रतिमाह तथा अपने बच्चों रिद्धिमा और रूहान को 2,000 रुपये प्रतिमाह दे, जो कुल मिलाकर 7,000 रुपये प्रतिमाह है।

7.2 जवाब में प्रतिवादी के वकील ने तर्क दिया कि न तो विवाह से पहले और न ही विवाह के बाद याचिकाकर्ता के परिवार ने दहेज की कोई वस्तु मांगी और न ही याचिकाकर्ता के परिवार ने प्रतिवादी को कोई दहेज दिया। याचिकाकर्ता के परिवार ने एक साधारण विवाह की व्यवस्था की। यह स्वीकार किया जाता है कि विवाह के बाद याचिकाकर्ता अबोहर चला गया और याचिकाकर्ता और प्रतिवादी के बीच संबंध से एक बेटी रिद्धिमा और एक बेटा रूहान पैदा हुआ। प्रतिवादी पवन कुमार की अबोहर में कोई दुकान नहीं है। प्रतिवादी को उसकी मां ने अपनी सारी संपत्ति से बेदखल कर दिया है।

प्रतिवादी के पिता का निधन हो चुका है। प्रतिवादी ने रिद्धिमा ट्रेडिंग कंपनी के नाम से व्यवसाय शुरू किया था, जिसे दो साल पहले बंद कर दिया गया। प्रतिवादी न तो अभी और न ही पहले किसी सरकारी सेवा में कार्यरत है। इसलिए याचिकाकर्ता की अर्जी खारिज की जानी चाहिए। दोनों पक्षों की दलीलें सुनी गईं। केस फाइल और संबंधित कानून की समीक्षा करने के बाद अदालत ने पाया कि याचिकाकर्ता ने अपने और अपनी नाबालिग बेटी रिद्धिमा और नाबालिग बेटे रूहान के लिए अंतरिम भरण-पोषण के लिए अनुरोध प्रस्तुत किया है। जहां तक इस बात का सवाल है कि क्या प्रतिवादी ने याचिकाकर्ता के खिलाफ घरेलू हिंसा की है, यह सबूत का मामला है जिसे बाद में ही निर्धारित किया जा सकता है; हालांकि, वर्तमान मामले में यह निर्विवाद है कि याचिकाकर्ता अंजू बाला प्रतिवादी पवन कुमार की पत्नी है और रिद्धिमा और रूहान उनके नाबालिग बच्चे हैं। इस स्तर पर, न्यायालय का मानना है कि प्रतिवादी का याचिकाकर्ता, उसकी पत्नी होने के नाते, तथा उसके बच्चों, रिद्धिमा और रूहान के लिए भरण-पोषण प्रदान करने का कानूनी दायित्व है। दोनों पक्षों की वित्तीय क्षमता और प्रस्तुत हलफनामे को ध्यान में रखते हुए, मामले की योग्यता पर टिप्पणी किए बिना, याचिकाकर्ता के अंतरिम भरण-पोषण के अनुरोध को स्वीकार करना उचित प्रतीत होता है। इसलिए, न्याय के हित में अंतरिम भरण-पोषण के लिए आवेदन स्वीकार किया जाता है, और यह आदेश दिया जाता है कि प्रतिवादी, पवन कुमार, याचिकाकर्ता, अंजू बाला को ₹3,000, बेटी रिद्धिमा को ₹2,000 और बेटे रूहान को ₹2,000, कुल मिलाकर ₹7,000 प्रति माह, याचिका की तिथि से शुरू होकर मुख्य याचिका के निपटारे तक का भुगतान करेगा। यह भरण-पोषण राशि प्रत्येक माह की 15 तारीख को देय होगी और तब तक जारी रहेगी जब तक कि नाबालिग बच्चे, रिद्धिमा और रूहान वयस्क नहीं हो जाते।

8. विद्वान पारिवारिक न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त विवादित आदेश का अवलोकन करने के पश्चात, मेरा यह मत है कि न तो कानून में कोई अनियमितता है और न ही तथ्यों में कोई ऐसी अनियमितता है जिसके लिए इस न्यायालय को हस्तक्षेप करना पड़े। किसी भी मामले में, यह आदेश अंतरिम प्रकृति का है और दोनों पक्षों के अधिकारों का अंतिम निर्धारण उचित चरण में तभी किया जाएगा जब उन्हें अपने-अपने तर्कों के समर्थन में सामग्री प्रस्तुत करने का अवसर दिया जाएगा और इस आधार पर भी इस चरण में हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है।

9. विद्वान मजिस्ट्रेट द्वारा निकाले गए तर्क और अंतरिम निष्कर्ष प्रथम दृष्टया साक्ष्य और लागू कानून द्वारा समर्थित प्रतीत होते हैं। कानूनी मानदंडों या तथ्यात्मक त्रुटियों से कोई विचलन नहीं है जिसके लिए विवादित आदेश पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता हो।

10. कहने की आवश्यकता नहीं है कि पति कानूनी रूप से अपनी पत्नी की वित्तीय भलाई सुनिश्चित करने के लिए बाध्य है। कानूनी दायित्वों से परे, अपनी पत्नी और उसके साथ रहने वाली बेटी का भरण-पोषण करना एक नैतिक कर्तव्य है। सामाजिक अपेक्षाएँ पति पर अपनी पत्नी का भरण-पोषण करने की ज़िम्मेदारी डालती हैं, खासकर तब जब उसके पास भरण-पोषण के स्वतंत्र साधन न हों। प्रतिवादी को अपनी बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करने और पति की आर्थिक और सामाजिक स्थिति के अनुरूप जीवन स्तर बनाए रखने के लिए पर्याप्त वित्तीय सहायता की आवश्यकता होती है।

11. अंतरिम भरण-पोषण सुनिश्चित करने से समानता और निष्पक्षता बढ़ती है, जिससे मामले के लंबित रहने के दौरान प्रतिवादी/पत्नी को होने वाली अनावश्यक कठिनाई से बचा जा सकता है। उससे यह उम्मीद नहीं की जा

सकती कि वह बेहद गरीबी में रहे या अपने माता-पिता और/या परिवार के अन्य सदस्यों पर निर्भर रहे।

12. रिकॉर्ड पर ऐसा कोई सबूत नहीं है जिससे पता चले कि प्रतिवादी नंबर 2 की अपनी कोई आय है। इसलिए, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए, इस स्तर पर गुण-दोष पर टिप्पणी किए बिना, और पक्षों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए, याचिकाकर्ता को 13,000/- रुपये (क्रमशः 8000/- रुपये और 5000/- रुपये) का मासिक अंतरिम भरण-पोषण प्रदान करने का निर्देश देने वाला आक्षेपित आदेश प्रतिवादी संख्या 2 और 3 के लिए न्यायसंगत और उचित प्रतीत होता है।

13. आधार में हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं है।

14. खारिज।

15. लंबित आवेदन(ओं), यदि कोई हो, का निपटारा किया जाता है।

(अरुण मोंगा),जे

(यह अनुवाद एआई टूल: SUVAS की सहायता से किया गया है)

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के लिए सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।